अधिकरण सुधार अधिनियम 2026: दक्षता के साथ न्यायिक स्वतंत्रता

राजव्यवस्था | समाचार संदर्भ: 13 अगस्त 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

विशेषज्ञ न्याय तभी उपयोगी है जब निर्णय देने वाली संस्था सक्षम भी हो और उस सरकार से स्वतंत्र भी, जिसके विरुद्ध उसे फैसला देना पड़ सकता है। अधिकरण सुधार इसी दोहरी कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

खबरों में क्यों

अधिकरण सुधार विधेयक 10 और 11 अगस्त 2026 को क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित हुआ। 13 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 25 अगस्त से अधिनियम के सभी प्रावधान प्रवृत्त हुए। इसलिए अगस्त के विधेयक-विवाद को आज भी केवल लंबित प्रस्ताव बताना गलत होगा।

राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का ढाँचा

अधिनियम आयोग में एक अध्यक्ष, दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्यों का प्रावधान करता है। इसकी भूमिका अधिकरणों के लिए चयन-प्रक्रिया, प्रदर्शन की समीक्षा, शिकायतों की जाँच की निगरानी और राष्ट्रीय अधिकरण डेटा ग्रिड से जुड़ी है। कानून लागू होना सभी रिक्तियाँ भर जाने का प्रमाण नहीं है।

मुख्य तथ्य

आयोग की नियुक्ति: अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र करता है। अध्यक्ष तथा न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का प्रावधान है। परामर्श को स्वतः न्यायपालिका की अंतिम सहमति मान लेना उचित नहीं।

कार्यकाल: अधिकरण के अध्यक्ष के लिए पाँच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तथा सदस्य के लिए पाँच वर्ष या 67 वर्ष की आयु, जो पहले हो, निर्धारित है। पुनर्नियुक्ति हेतु विचार संभव है। आयोग के पदों और अधिकरण के पदों के नियमों को न मिलाएँ।

चयन और बाद के नियम: प्रति रिक्ति एक उपयुक्त नाम तथा प्रतीक्षा सूची के लिए एक अतिरिक्त नाम की व्यवस्था है; सिफारिश मिलने के तीन महीने में नियुक्ति का प्रावधान है। 30 सितंबर के नियम 1 अक्टूबर को प्रकाशित हुए; प्रक्रिया रिक्ति आने से कम-से-कम छह महीने पहले शुरू करने का नियम भी है।

स्वतंत्रता का प्रश्न केवल चयन तक सीमित नहीं

हितों का टकराव: किसी विभाग के निर्णय का विवाद उसी विभाग से संसाधन लेने वाले अधिकरण में पहुँचे तो वास्तविक निष्पक्षता के साथ निष्पक्ष दिखने का प्रश्न भी उठता है। संस्थागत दूरी न्याय में विश्वास बढ़ाती है।

केंद्रीकरण का लाभ और जोखिम: साझा आयोग से चयन-मानदंड, शिकायत-प्रक्रिया तथा आँकड़े अधिक संगत हो सकते हैं। लेकिन यदि नियुक्ति, सचिवालय और संसाधनों पर कार्यपालिका का प्रभाव अधिक रहे तो केवल नया निकाय बनाना पर्याप्त नहीं होगा।

पुनर्नियुक्ति और सुरक्षा: निश्चित कार्यकाल स्थिरता देता है। फिर भी पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा और हटाने की प्रक्रिया में अस्पष्टता स्वतंत्र निर्णय पर दबाव बना सकती है। जवाबदेही को अनुशासनहीन नियंत्रण से अलग रखना होगा।

विश्लेषण और आगे की राह

सुधार का आकलन चार परिणामों से करें: रिक्तियाँ समय पर भरना, चयन के कारण स्पष्ट होना, मामले की गुणवत्ता से समझौता किए बिना देरी घटना और प्रशासनिक स्वतंत्रता मजबूत होना। नियुक्ति-सारिणी, समुचित सुनवाई वाली शिकायत-प्रक्रिया, पर्याप्त बजट तथा प्रशिक्षित सहयोगी कर्मचारी आवश्यक हैं। डेटा ग्रिड से मामले की आयु और लंबित मामलों की जानकारी उपयोगी हो सकती है, किंतु केवल निस्तारण संख्या न्याय की गुणवत्ता नहीं मापती। संवैधानिक आपत्तियों को पहले ही अंतिम न्यायिक निष्कर्ष की तरह प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

अवधारणा में अंतर

अधिकरण किसी विशेष विषय के विवादों का निर्णय देने वाला वैधानिक निकाय है; आयोग अधिकरणों की साझा संस्थागत व्यवस्था का भाग है। आयोग स्वयं प्रत्येक मुकदमे का अपीलीय मंच नहीं बन जाता। विशेष विषय की विशेषज्ञता न्यायिक स्वतंत्रता का विकल्प नहीं है।

मेंस दृष्टि

GS-II में शक्तियों का पृथक्करण, वैधानिक निकाय और न्याय तक पहुँच। विश्लेषण में कानूनी ढाँचे के घोषित उद्देश्य को उसके वास्तविक परिणामों से अलग रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

अधिकरणों की दक्षता में सुधार तभी टिकाऊ होगा जब उनकी संस्थागत स्वतंत्रता सुरक्षित हो। अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 के संदर्भ में विवेचना कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: अधिकरणों को विषय-विशेष के विवादों में विशेषज्ञ न्याय देने वाले वैधानिक निकाय बताते हुए दक्षता और स्वतंत्रता का संबंध स्थापित करें। नया कानूनी ढाँचा अपने-आप स्वतंत्र न्याय का परिणाम नहीं है।

मुख्य भाग में: राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की चयन, समीक्षा और शिकायत-निगरानी की भूमिका तथा नियुक्ति-सारिणी और निश्चित कार्यकाल की उपयोगिता समझाएँ। इनके साथ कार्यपालिका पर संसाधनों की निर्भरता, परामर्श को अंतिम न्यायिक सहमति मानने की भूल और पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा से संभावित दबाव रखें। आयोग को प्रत्येक मुकदमे का अपीलीय मंच न बताएँ। रिक्तियाँ भरना, पर्याप्त बजट, प्रशिक्षित कर्मचारी और कारणयुक्त चयन वास्तविक परिणामों के लिए जरूरी हैं।

निष्कर्ष में: पारदर्शी नियुक्ति-प्रक्रिया, संस्थागत दूरी और सुनवाई-सुरक्षा के साथ जवाबदेही का सुझाव दें। सफलता केवल निस्तारण संख्या से नहीं, समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण न्याय और स्वतंत्रता से मापें।

स्रोत

- अधिनियम 2026: धाराएँ 3–5, 14, 17; तृतीय-पक्ष वैधानिक पाठ
- 25 अगस्त की राजपत्र अधिसूचना: S.O. 4713(E), उपलब्ध प्रति
- 1 अक्टूबर प्रकाशित अधिकरण नियम: राजपत्र पाठ का पुनरुत्पादन

- स्वतंत्र विधिक विश्लेषण: नियुक्ति और संस्थागत नियंत्रण के प्रश्न

याद रखें: नया अधिनियम और आयोग का प्रावधान स्वतंत्रता की दिशा में साधन हैं; स्वतंत्र न्याय का परिणाम अपने-आप सिद्ध नहीं होता।